FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (चला की ढाणी)
(चक मण्ढोली से ढाणी ढाबाला तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 **मु0नं0 49 सन् 2025 जीसीएमएस नं.** 2025/159

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-03-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/886 दिनांक 18.03.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर पक्षकार को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.04.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
02/4/25	पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। तहसीलदार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **चला की ढाणी** पटवार मण्डल **मण्ढोली** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **184 रकबा 0.52 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0240 हैक्ट., खसरा नम्बर 185 रकबा 0.44 हैक्ट किस्म बारानी–II मे से 0.0330 हैक्ट.,** [illegible] **हैक्ट. किस्म बारानी–II मे से 0.04 हैक्ट. रास्ता कुल 04 मी**[illegible] **चौड़**[illegible] **230 मीटर लम्बाई कुल 920 वर्ग मीटर का गै.मु.रास्ता का मुख्य स**[illegible]**ला की ढाणी–मावण्डा कलां से ढाणी सिरसावाली** में पानी की टंकी त[illegible] प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। तहसीलदार नीमकाथाना से मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत मण्ढोली का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:42:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:42:00 IST
Reason: SelfAttested